तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 82/2018 रमनदान दाऊदही बनाम मोहनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/19	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पूर्व में बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण की सुनवाई लोक अदालत में मौका सरणा पर सुनवाई करने का भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बतलाया कि अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार पारित किया जाना जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रेस्पोंडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पों. की मूलभूत आवश्यकता है। जिसका प्रावधान 251क में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में	अपील अधिकारी राजस्व बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
	अपील संख्या 52/2018 बजरंगराम दाखलदी बनाम मोहनसिंह	
	स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलांट द्वारा रेस्पो. के मार्ग में अवरोध पैदा करने हेतु अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फर्द मौका दिनांक 11/10/2017 के अनुसार खसरा संख्या 465 गै. मु. रास्ता (जो सराणा से जसोल जाता) से ख. नं. 1043/474 तथा 1042/474 से होते हुए खसरा संख्या 473 के लिए उपयुक्त एवं निकटतम तथा वर्तमान में चालू है। ख. सं. 473 के लिए 1043/474 व 1042/474 के अलावा अन्य कोई निकटतम मार्ग संभव नहीं है रेस्पो. को अपीलाधीन रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि व इर्रेगुलारिटी नहीं होती है उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील खारिज करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व अपील संख्या 184/2017 बजरंगराम बनाम मोहनसिंह में पारित आदेश दिनांक 28/06/2018 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा. द. हो। आज इजलास सुनाया गया। 23/10/18 राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner